फोन / फैक्स : 0755-2543175
e-mail:mp_waqfboard@rediffmail.com

म.प्र. वक्फ बोर्ड

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पास, भोपाल-462001

उमर फारुक, खटानी
रा.प्र.से.
कमिश्नर वक्फ एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रति,

कलेक्टर, जिला.................................
कमिश्नर, नगर पालिका निगम,
....
....

संदर्भ : विधानसभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 1468 उस पर आश्वासन क्रमांक 18 दिनांक 3.9.01

विषय: वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व एवं नगरीय अभिलेखों में इंद्राज करने बाबत।

1. मध्यप्रदेश शासन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्देश कमांक एफ-10-22/01/54-2 भोपाल दिनांक 10.8.01

2. राजस्व विभाग के निर्देश क्र. एफ-2-32/सात/शा-6/2001 दि.6.11.01

कृपया संदर्भित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1468 एवं संदर्भित पत्रक 2 एवं 3 में दिये गये निर्देशों का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है। विधानसभा में आपके द्वारा दिये गये आश्वासन उपरांत भी आपके जिले की कुछ वक्फ सम्पत्तियां शासकीय अभिलेखों में प्रबंधक म.प्र. वक्फ बोर्ड- अहस्तांतरणीय इंद्राज होने से रह गई है। जिसके कारण अनावश्यक विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। राजस्व या नगरीय अभिलेखों को अद्यतन रखने की जवाबदारी भी संबंधित विभाग की ही है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1998 प्र. क्र. 972 के अनुसार वक्फ सम्पत्ति की नोइयत को बदला नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त वक्फ सम्पत्तियों पर म.प्र. वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान ही लागू होते हैं।

प्रबंधक/प्रबंध कमेटी वक्फ...जानकारी दी है कि वक्फ सम्पत्ति भूमि/भवन/स्थान/सर्वे क्रमांक..................................क्षेत्रफल ....आपके अभिलेखों में प्रबंधक म.प्र. वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय दर्ज नहीं की गई है। (सूची संलग्न है)

जैसा कि आपको विदित ही है कि ***ये वक्फ सम्पत्तियां पवित्र, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के सम्पादन हेतु स्थायी रुप से समर्पित होती है। जिनका स्वामी ईश्वर होता है तथा इसके प्रबंधक हम सभी हैं।***

कृपया इस पवित्र कार्य में यथोचित सहयोग देकर इस संपत्ति को संदर्भित निर्देशों के अनुसार शासकीय अभिलेखों में इन्द्राज करने का कष्ट करेंगे। कार्य सम्पादन उपरांत सूचना देने का भी कष्ट करें।

एक न एक दिन हमें इसका हिसाब उस स्वामी को देना ही होगा। विनम्र सहयोग हेतु पुन: अनुरोध के साथ आपकी तरक्की एवं जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी की दुओं के साथ।

संलग्न..........

आपका

(उमर फारुक, खटानी)

पृष्ठांकन क्रमांक..दिनांक.....................................

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/राजस्व/नगरीय कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं पुन: निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. कमिश्नर....................................संभाग.................................
3. एस.डी.ओ./तहसीलदार...
4. सदर जिला वक्फ कमेटी जिला..............................को सूचनार्थ जिले की समस्त वक्फ सम्पत्तियों को इंद्राज कराने हेतु।
5. प्रबंधक/प्रबंध कमेटी वक्फ....................................कृपया संबंधित अधिकारी को आवश्यक सहयोग देकर संपत्ति को अभिलेखों में इन्द्राज कराने का कष्ट करें। संविधान अधिकारी से मिलने का समय निर्धारित कर विनम्रता पूर्वक चर्चा कर तथा विधिवत आवेदन देकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावें। कठिनाई अथवा कार्यपूर्ण होने पर अवगत कराने का कष्ट करें।

आपका

(उमर फारुक, खटानी)
कमिश्नर वक्फ एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी